

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 345] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 1978/अग्रहायण 8, 1900
No. 345] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 29, 1978/AGRAHAYANA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1978

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 563 (अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ जोड़ित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 71.02 (1) के अधीन आने वाले कारों (रफ) अपरिष्कृत रस्सों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, वित्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन उनपर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा-शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1979 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 230/फा. सं. 355/192/78-सी. श्रृ. 1]

ए. बॉर्डिया, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts rough uncut precious stones, falling under Heading No. 71.02(1) of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 35 of the said Finance Act.

2. This Notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1979.

[No. 230/F. No. 355/192/78-Cus. I]

A. BORDIA, Under Secy.